2025:CGHC:61140-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 212/2024

{न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया के व्यवहार वाद क्रमांक 111ए/2022 में दिनांक 10-5-2024 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत}

हयात ताविल शाही, पिता सैयद मतिनुलहक,आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी- इस्लामपुर, पोस्ट मखदुमपुर, थाना बालीडीह, जिला बोकारो (झारखंड)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

श्रीमती सुमैया खातून, पति हयात ताविल शाही, आयु लगभग 32 वर्ष, आत्मजा हाफिज फिरोज अहमद, निवासी- स्टेट बैंक के पीछे, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता।

युगलपीठः-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्तिगण

बोर्ड पर निर्णय

(16/12/2025)

संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति

1. यह प्रकरण ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, किन्तु पक्षकारगण की सम्मति से, इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी-यहाँ पति/प्रतिवादी ने, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन इस न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए,न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 111ए/2022 में दिनांक 10-5-2024 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को प्रश्नगत करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा कुटुंब न्यायालय ने यहाँ वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया एवं पक्षकारगण के मध्य हुए विवाह का विघटन किया।

3. यहाँ अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर दी गई है:–

[*पक्षकारगण को एतस्मिन पश्चात कुटुंब न्यायालय के समक्ष वाद में दर्शाई गई उनकी प्रास्थिति और क्रमानुसार संदर्भित किया जाएगा।*]

तथ्य

4. वादी और प्रतिवादी का विवाह 30–9–2015 को मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया में मुस्लिम विधि के अनुसार अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के पश्चात, वादी/पत्नी ने प्रतिवादी/पति के साथ इस्लामपुर, झारखंड में रहना शुरू किया। वादी, प्रतिवादी के साथ केवल 15 दिनों तक रही और उसके बाद, उनके बीच पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने लगा। तत्पश्चात, दिनाँक 9–5–2016 को वादी मनेंद्रगढ़ स्थित अपने पिता के घर वापस चली गई। वादी का यह मामला है कि प्रतिवादी 15 दिनों के बाद मनेंद्रगढ़ में उसके पिता के घर आया और वादी के नाम पर मौजूद ₹10 लाख की सावधि जमा को नकदीकरण के बारे में पूछा। तत्पश्चात, वादी ने प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दिनाँक 29–1–2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 506 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई और दिनाँक 17–3–2017 को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अधीन कार्यवाही भी प्रारंभ की गई। तदोपरांत, वादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। अंततः यह अभिवचन किया गया कि वर्ष 2016 से वादी अलग रह रही है, अर्थात दो वर्ष से अधिक समय से, इसलिए वह दिनाँक 30–9–2015 को अनुष्ठापित विवाह के विघटन की हकदार है।

5. प्रतिवादी ने वाद–पत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया और यह अभिवाक किया कि प्रतिवादी सहित परिवार के सभी सदस्यों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 11–9–2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 506 सहपठित धारा 34 तथा उनके विरुद्ध विरचित अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वादी ने दिनाँक 20–12–2021 को भरण–पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने अपनी आय और संपत्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह भी कथन किया गया है कि वादी एक संपन्न, सुखी और समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती है, वह आर्थिक रूप से सक्षम है और उसे भरण–पोषण के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं है, अतः उक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

6. कुटुंब न्यायालय ने दिनांक 10–5–2024 को पारित अपने आक्षेपित निर्णय के द्वारा तीन विवाद्यक विरचित किए और उनके उत्तर निम्नानुसार दिए: –

क्र.	वाद विषय	निष्कर्ष
01.	*क्या प्रतिवादी ने वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है?*	"प्रमाणित"

02. क्या प्रतिवादी ने दो वर्ष से वादी का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है?	"प्रमाणित"
03. अनुतोष?	वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

7. सारांश और निष्कर्ष के रूप में, कुटुंब न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (संक्षिप्त में, '1939 का अधिनियम') की धारा 2(ii) के अधीन यह आधार कि प्रतिवादी/पति ने दो वर्ष की अवधि तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या असफल रहा है, और दूसरा, 1939 के अधिनियम की धारा 2(viii)(घ) के अधीन यह आधार कि प्रतिवादी/पति ने वादी की संपत्ति का व्ययन कर दिया है या उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका है, सिद्ध होते हैं। अतः, वादी/पत्नी उपरोक्त दो आधारों पर प्रतिवादी/पति के साथ अपने विवाह के विघटन की हकदार है, जिसे प्रतिवादी/पति द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है।

8. अपीलार्थी/प्रतिवादी/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी.एन. प्रजापति ने तर्क दिया कि वादी/पत्नी आर्थिक रूप से संपन्न है और एक बुटीक चलाने के साथ–साथ फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी कर रही है, तथा वह स्वयं अपनी मर्जी से अपना ससुराल छोड़कर अपने पिता के साथ रह रही है। इसलिए, वह 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) और 2(viii)(घ) के अधीन उल्लिखित आधारों पर तलाक की हकदार नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही आधार साबित नहीं होते हैं। अतः, इस अपील को स्वीकार किए जाने एवं आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

9. प्रत्यर्थी/वादी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल मिन्हाज ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया तथा अपील का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय द्वारा विवाह विघटन की डिक्री प्रदान करना पूर्णतः न्यायोचित है, और अतः, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. अवधारणार्थ प्रश्न यह होगा कि क्या कुटुंब न्यायालय 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) और 2(viii)(घ) के अधीन सूचीबद्ध आधारों पर विवाह विघटन की डिक्री प्रदान करने में न्यायोचित है?

12. इस संबंध में कुटुंब न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण करने हेतु, हम दोनों विवाद्यकों पर निष्कर्षों पर पृथक–पृथक विचार करेंगे।

भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा या असफलता

13. 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) के अधीन परिकल्पित आधार निम्नानुसार प्रावधान करता है: –

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> “2. **विवाह–विघटन की डिक्री के लिए आधार–** मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, अर्थात् :–
>
> (i) XXX XXX XXX
>
> (ii) पति ने दो वर्ष तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है:

14. 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री इस आधार पर अपने विवाह के विघटन की डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि पति ने दो वर्ष तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है।

15. वर्तमान प्रकरण में, वादी/पत्नी ने अपने वाद–पत्र की कण्डिका 13 में यह अभिवचन किया है कि पति द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार के कारण, वह वर्ष 2016 से तलाक के आवेदन (दिनांक 18–8–2022) के संस्थित होने तक अपने मायके में रह रही है। इसके उत्तर में प्रतिवादी/पति ने कथन किया है कि वादी आर्थिक रूप से सक्षम है और उसने दिनाँक 20–12–2021 को भरण–पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है; तथा वादी/पत्नी के आर्थिक रूप से सक्षम होने और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स व बुटीक चलाने के कारण, उसने केवल उसे तंग करने के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। कुटुंब न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के उपरांत यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि मई 2016 से निर्णय पारित होने की तिथि तक, लगभग आठ वर्षों की अवधि के लिए वादी/पत्नी को भरण–पोषण की कोई राशि नहीं दी गई है और इस प्रकार, वादी/पत्नी की ओर से प्रस्तुत वादी और प्रतिवादी के मध्य विवाह विघटन के वाद को डिक्रीत कर दिया।

16. स्वीकृत रूप से, इस प्रकरण में वादी/पत्नी ने दिनाँक 9–5–2016 और 27–7–2016 को अपने पिता के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था और अपने पिता के साथ रहने लगी थी। यद्यपि, प्रतिवादी/पति का यह पक्ष है कि वादी/पत्नी ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा है और वह अपने मायके में रह रही है, इसलिए वह भरण–पोषण की हकदार नहीं है।

17. प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न यह होगा कि क्या अपने पति से स्वेच्छा से अलग रह रही एक मुस्लिम पत्नी, 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) के अधीन इस आधार पर तलाक का दावा करने की हकदार है कि उसके पति ने "दो वर्ष तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या उसमें असफल रहा है।"

18. इस प्रश्न पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा **वीरन सायवु रावुथर विरुद्ध बीवथुम्मा**[1] के प्रकरण में विचार किया गया है और केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पति द्वारा किया गया कोई भी बहाना, पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय सुसंगत नहीं हो सकता है। पत्नी विवाह विघटन की हकदार है, भले ही उसने स्वयं के भरण–पोषण न होने में योगदान दिया हो या वह भरण–पोषण की हकदार न रही हो। केरल उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

> “18. पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष युसूफ रावुथर (एआईआर 1971 केर. 261) के बाद, न्यायमूर्ति बालकृष्ण मेनन जैसा कि वे तब थे के समक्ष उसमें अपनाए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का प्रयास किया गया था। इस बीच, इस न्यायालय ने अबूबकर हाजी विरुद्ध मामू कोया, 1971 केर. एलटी 663 में पुनः युसूफ रावुथर वाली स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वह निर्णय भी न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जैसा कि वे तब थे द्वारा ही दिया गया था। मूसा विरुद्ध फातिमा, 1983 केर. एलटी 787: (एआईआर 1983 केर. 283) में इस न्यायालय ने युसूफ रावुथर और अबूबकर हाजी में अपनाए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एआईआर 1978 आन्द्र.प्र. 417 और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा(श्रीमती माबिया खातून बीवी विरुद्ध शेख अनवर अली, 1971 कल 218) पारित निर्णयों सहित संपूर्ण तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति बालकृष्ण मेनन ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:
>
>> "धारा 2 के खंड (ii) को खंड (iv) के विपरीत पढ़ा जाना चाहिए, जिसके अनुसार पत्नी इस आधार पर विवाह विघटन की डिक्री पाने की हकदार है कि पति तीन वर्ष की अवधि तक "बिना किसी युक्तियुक्त कारण के" अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा है। '"बिना किसी युक्तियुक्त कारण के" शब्द खंड (ii) में महत्वपूर्ण रूप से अनुपस्थित हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 एक ऐसा अधिनियम है जो स्त्री के विवाह विघटन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित मुस्लिम विधि को समेकित और स्पष्ट करता है। पति के पास "तलाक" बोलकर विवाह को समाप्त करने की पूर्ण शक्ति है। पत्नी का विवाह विघटन का अधिकार धारा 2 के खंड (i) से (ix) तक में वर्णित आधारों तक सीमित है। यदि पति चाहता है कि विवाह संबंध जारी रहे, तो उसे यह देखना चाहिए कि पत्नी को न्यायालय जाने के लिए धारा 2 के खंड (ii) के अधीन विवाह विघटन का आधार न मिले। यदि पत्नी अनैतिक चरित्र की है

---

[1] AIR 2002 Kerala 370

या वह जानबूझकर और अपने पति की इच्छा के विरुद्ध उससे दूर रहती है, तो पति स्वेचछा से 'तलाक' बोलकर उसे तलाक दे सकता है। हालाँकि, यदि वह दोनों के बीच संबंध बनाए रखना चाहता है, तो उसे पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करनी होगी, चाहे वह इसकी हकदार हो या नहीं। उन परिस्थितियों में पत्नी को भरण–पोषण प्रदान करने का कर्तव्य केवल संबंध को अक्षुण्ण रखने के लिए स्व–अधिरोपित है और यह पत्नी के उस अधिकार के अनुरूप नहीं है जिसके अंतर्गत वह पति के विरुद्ध भरण–पोषण का दावा करती है। विवाह को समाप्त करने की पति की मनमानी शक्ति के विरुद्ध, पत्नी को पति द्वारा दो वर्ष की अवधि तक भरण–पोषण प्रदान करने में उपेक्षा या असफलता पर विवाह विघटन का अधिकार प्राप्त होता है। धारा 2 के खंड (ii) की यह व्याख्या ऊपर चर्चा की गई इस विषय पर आधारित इस्लामी विधि के अनुरूप है। इसलिए, खंड (ii) में "बिना किसी युक्तियुक्त कारण के" शब्द जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से, खंड (iv) में वे शब्द प्रदान करके, खंड (ii) में यह प्रतिबंध प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए, मैं युसूफ रावुथर विरुद्ध सौराम्मा, 1970 केर.एलटी 477: (एआईआर 1971 केर 261) के निर्णय में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के तर्क और निष्कर्ष से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। इस समवर्ती निष्कर्ष पर कि पति वाद दायर करने से पूर्व दो वर्ष से अधिक की अवधि तक पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था करने में असफल रहा है,अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पक्षकारगण के मध्य विवाह विघटन की डिक्री प्रदान करने का निर्णय पूर्णतः न्यायोचित है और इस द्वितीय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विवाह विघटन की डिक्री को दृष्टिगत रखते हुए, पति के पक्ष में दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कोई डिक्री नहीं दी जा सकती। फलस्वरूप, दोनों द्वितीय अपीलें असफल होती हैं और इन परिस्थितियों में, बिना कोई वाद–व्यय के आदेश के खारिज की जाती हैं।"

19. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि "धारा 2 के खंड (ii) की व्याख्या इस विषय पर इस्लामी विधि के अनुरूप है... इसलिए खंड (ii) में "बिना किसी युक्तियुक्त कारण के" शब्दों को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से खंड (iv) में वे शब्द प्रदान करके, खंड (ii) में यह प्रतिबंध लगाना आवश्यक

> नहीं समझा।" तदनुसार, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी परिस्थितियों में एक पत्नी, भले ही उसने स्वयं के भरण–पोषण न हो पाने में योगदान दिया हो या भले ही वह भरण–पोषण की हकदार न रही हो, धारा 2(ii) के अधीन इस आधार पर विवाह विघटन के लिए आवेदन कर सकती थी कि पति ने दो वर्ष की अवधि तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में उपेक्षा की है या वह असफल रहा है। जब नूरबीबी के प्रकरण (एआईआर 1950 सिन्ड 8) में मुख्य न्यायमूर्ति तैयबजी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, इन तीन निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अनुपालन किया गया सुसंगत दृष्टिकोण इतना स्पष्ट है, तो धारा 2(iv) की तुलना में धारा 2(ii) में प्रयुक्त शब्दावली को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार का कोई कारण नहीं है। अधिनियम की धारा 2(ii) के अधीन पत्नी द्वारा विवाह विघटन के आधार पर विचार करते समय, पति द्वारा पत्नी का भरण–पोषण न करने के संबंध में किया गया कोई भी बहाना बिल्कुल भी सुसंगत विचार नहीं है। अतः, हम इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती निर्णयों युसूफ रावुथर, अबूबकर हाजी और मूसा के प्रकरणों में अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त करते हैं।"

19. उपरोक्त के आलोक में, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि यद्यपि वादी/पत्नी जुलाई 2016 से स्वेच्छा से अपने मायके में अलग रह रही है और संभवतः उसने स्वयं के भरण–पोषण न हो पाने में योगदान दिया हो और भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं की गई हो, तथापि, अंततः अधिकारिता के न्यायालय ने उसे भरण–पोषण प्रदान किया है। इसलिए, प्रतिवादी/पति द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि वादी/पत्नी स्वेच्छा से अपने माता–पिता के घर में रह रही है और इस कारण वह तलाक की हकदार नहीं है, पत्नी द्वारा प्रस्तुत तलाक के आवेदन पर विचार करते समय एक सुसंगत विचार नहीं होगा। अतः, कुटुंब न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि वादी/पत्नी विवाह विघटन की हकदार है, क्योंकि प्रतिवादी/पति दो वर्ष तक उसके भरण–पोषण की व्यवस्था करने में असफल रहा है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्य का एक उचित निष्कर्ष है; यह न तो दोषपूर्ण है और न ही अभिलेख के विपरीत है, एवं एतद्द्वारा हम उक्त निष्कर्ष की अभिपुष्टि करते हैं।

पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करना अर्थात् उसकी संपत्ति का व्ययन करना या उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना ।

20. अब, यह हमें 1939 के अधिनियम की धारा 2(viii)(घ) के अधीन अगले आधार की ओर ले जाता है, जो निम्नानुसार है: –

> “**2. विवाह–विघटन की डिक्री के लिए आधार–** मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, अर्थात् :–
>
> (viii) पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है, अर्थात् :–
>
> (क) से (ग) xxx xxx xxx
>
> (घ) उसकी सम्पत्ति का व्ययन कर डालता है या उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक देता है, या

21. उपरोक्त आधार के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति का ऐसा व्ययन, जो खंड (viii)(घ) के प्रावधानों को आकृष्ट करता है,वह पति द्वारा पत्नी की सम्मति के बिना उसकी संपत्ति के एक वृहद भाग का ऐसा व्ययन है, जो पत्नी के लाभ के लिए नहीं बल्कि पति के अपने स्वार्थ के लिए और अपव्ययी रीति से, उसे उसकी संपत्ति से वंचित करने के आशय से किया गया हो।

22. यहाँ, वादी/पत्नी द्वारा वाद–पत्र के कण्डिका 5 में लगाया गया एकमात्र आरोप यह है कि प्रतिवादी/पति ₹10 लाख की उस सावधि जमा का नकदीकरण चाहता था, जो वादी के नाम पर है। किन्तु न तो ऐसा कोई साक्ष्य है और न ही ऐसी कोई अभिवचन किया गया है कि किसी भी समय प्रतिवादी/पति ने वादी/पत्नी के नाम पर मौजूद उक्त ₹10 लाख की सावधि जमा को नकदीकरण किया हो और इस प्रकार उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया हो। इसी प्रकार, ऐसा कोई साक्ष्य या अभिवचन भी उपलब्ध नहीं है कि प्रतिवादी/पति ने वादी/पत्नी को उसकी संपत्ति पर विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका हो, या वह उस सावधि जमा का नकदीकरण चाहता था जिसे वादी/पत्नी द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण नकदीकरण नहीं जा सका। इस प्रकार, 1939 के अधिनियम की धारा 2(viii)(घ) के अधीन आधार नहीं बनता है।

23. फलस्वरूप, 1939 के अधिनियम की धारा 2(ii) के अधीन विवाह विघटन की आक्षेपित डिक्री को यथावत रखा जाता है/अभिपुष्टी की जाती है,जबकि धारा 2(viii)(घ) के अधीन डिक्री को अपास्त किया जाता है।

24. यह अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

25. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**